# न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 105/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांकः 21.05.2024

अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बजरंग आत्मज प्रभूलाल जाति राठोर तेली निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट

पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 04.12.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 04/2020/(आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार बनाम बजरंग लाल में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नं. 204 की 3.15 है. भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बजरंगलाल पुत्र प्रभूलाल राठोर जाति तेली निवासी रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 19.09.1987 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई। उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी तहसीलदार लाड़पुरा (भूमिधारी) द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा दिनांक 30.4.2007 को निर्णय पारित किया जाकर उक्त आवंटन निरस्त किया गया। जिसकी राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में किये जाने से राजस्व अपील प्राधि प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 350/2007 निर्णय दिनांक 23.01.2008 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 30.4.2007 यथावत रखा गया। उक्त आदेश दिनांक 30.4.2007 की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जाने पर राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5798/2008/कोटा निर्णय दिनांक 31.10.2019 से अपील

4-12-2024

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को प्रतिप्रेषित किया कि वादग्रस्त आराजी किसी अन्य को आवंटन नहीं की गई हो तो वे उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण का विधि सम्मत आदेश पारित करें। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 04/2020 राजस्थान सरकार बनाम बजरंगलाल में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 से प्रश्नगत भूमि वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज होने तथा देवनारायण योजना विकसित कर देने से प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) लाड़पुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी बजरंगलाल पुत्र प्रभूलाल राठोर जाति तेली निवासी रानपुर तहसील लाडपुरा के हक में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 3.15 हे० ग्राम धर्मपुरा स्थिति भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.9.87 को उक्त नियमों के नियम 14 (4) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

2. न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 13.02.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश करन कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय, एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा में काश्तकारी कर अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। जिसको आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम धर्मपुरा स्थित खसरा नम्बर 61 के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 204 रकबा 3.15 हैक्टर आराजी दिनांक 19.09.87 को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बाद आवंटन, आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही व आवंटन पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट को आवंटन नियम 1970 के नियमो के अनुसार आवंटन किया गया है। बाद आवंटन अपीलान्ट को कब्जा दिया गया, अथवा नही दिया गया, ओर उक्त आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया या नही किया गया, उक्त कार्य राज्य सरकार का है। आवंटन नियमों के तहत अपीलांट को 3 वर्ष के अंदर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी जवाबदेही रेस्पो0 की है। प्रश्नगत आराजी वर्ष 2007 में अपीलांट के नाम दर्ज रही है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2007 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2023 पर विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया उक्त जवाब में वर्णित तथ्यो को नजर अन्दाज कर केवल मात्र आवंटित आराजी नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज होने व देवनारायण योजना स्थापित कर देने को आधार मानकर आवंटन खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी

4-12-2024

साक्ष्यो एवं कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का आवंटन खारिज कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन के 30–35 वर्ष बाद बिना किसी आधार के अपीलान्ट का आवंटन खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियमों का उल्लघंन नही किया गया है फिर भी अपीलान्ट का आवंटन खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय खारिज फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम धर्मपुरा स्थित खसरा नम्बर 61 के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 204 रकबा 3.15 हैक्टर आराजी दिनांक 19.09.87 को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटन के आधार पर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया। आवंटन नियमों के तहत अपीलांट को 3 वर्ष के अंदर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी जवाबदेही रेस्पो0 की है। वादग्रस्त आराजी वर्ष 2007 में अपीलांट के नाम दर्ज रही है जिसे न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा दिनांक 30.04.2007 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2023 पर विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया गया उक्त जवाब में वर्णित तथ्यो को नजर अन्दाज कर केवल मात्र आवंटित आराजी नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज होने व देवनारायण योजना स्थापित कर देने को आधार मानकर आवंटन खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन के 30–35 वर्ष बाद बिना किसी आधार के अपीलान्ट का आवंटन खारिज कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा आवंटन नियमों का उल्लघंन नही किया गया है तथा समस्त नियमों की पालना की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 13.02.2024 को निरस्त कर अपीलांट का आवंटन बहाल रखे जाने का अनुरोध किया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2007 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5798/2008/कोटा निर्णय दिनांक 31.10.2019 से अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वादग्रस्त आराजी किसी अन्य को आवंटन नहीं की गई हो तो उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। जिसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी हल्का से ली जाकर तदानुसार मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा को

4-12-2024

आवंटित होकर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा देवनारायण योजना बनाई हुई है तथा चार दीवारी है, कब्जा नगर विकास न्यास का होने से रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट बजरंगलाल पुत्र प्रभूलाल राठोर जाति तेली निवासी रानपुर तहसील लाडपुरा के हक में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 10 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 3.15 हे० ग्राम धर्मपुरा स्थिति भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.9.87 को उक्त नियमों के नियम 14 (4) के अन्तर्गत निरस्त किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2024 न्यायोचित होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एलआर/5798/2008/कोटा निर्णय दिनांक 31.10.2019 से प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा को इस दिशा–निर्देश कि साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 204 रकबा 3.15 हेक्टेयर ग्राम धर्मपुरा किसी अन्य को आवंटन नहीं की गई हो तो वे उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित करे।" विवादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसे कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उसका वादग्रस्त भूमि पर अनवरत कब्जा अथवा आवंटन शर्तों की पालना किया जाना प्रकट होता हो। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा हस्तगत न्यायालय में अपील के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए जिससे अपील के तथ्यों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 13.02.2024 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

4-12-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति[redacted] आयुक्त
कोटा